कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 259 /47/आउशि/अनु.ब./21 भोपाल, दिनांक 17/02/2021

प्रति,

1. **प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित**
   शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
   म0प्र0 (कॉलम 06 के अनुसार)
2. **प्राचार्य,**
   अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
   म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

विषयः— **अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/कीड़ा अधिकारी /ग्रंथपालों को वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी / चतुर्थ पे–बैंड एंव तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर एरियर्स एंव अन्य भत्तों की** राशि आवंटित करने बाबत्।

संदर्भः— म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग का आदेश कमांक 73—5/2014/38—3 दिनांक 19/20.03.15 एंव कार्यालयीन आदेश कमांक 1401/260/अनु/16 दिनांक 09.08.16 ।

———0———

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के निम्न अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के तारतम्य में शासन के संदर्भित आदेश के निर्देशों के अंतर्गत कॉलम—07 में अंकित राशि अनुसार बजट आवंटन किया जाता हैः—

स. क्र	महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे–बैंड एवं छटवे वेतनमान के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	ऐरियर्स भुगतान हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	यमुना प्रसाद शास्त्री पी.जी. महाविद्यालय सेमरिया (रीवा)	—	—	1,36,407	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा 3203802007	1,36,407
					योग	1,36,407
2	साधू वासवानी महाविद्यालय बैरागढ़, भोपाल	—	54,304	—	शास. हमीदिया कला वाणिज्य महावि. भोपाल 0523802005	54,304
					योग	54,304
3	एम.के.एच.एस. गुजराती कन्या महाविद्यालय इंदौर .	42,18,862	—	—	माता जीजा बाई कन्या महावि. मोतीतबेला इंदौर 1713802004	42,18,862

Scanned with CamScanner

4	पी.एम.बी. गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय इंदौर	–	–	7,67,622	माता जीजा बाई कन्या महावि. मोतीतबेला इंदौर 1713802004	7,67,622
					योग	**49,86,484**
5	एस.एस.एल.जैन पी.जी. महाविघलय विदिशा	4,70,997	–	–	शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा 4503802001	4,70,997
					योग	**4,70,997**
6	जय जवान महाविद्यालय तराना (उज्जैन)	–	–	4,33,184	शासकीय कालीदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन 4303802009	4,33,184
					योग	**4,33,184**
7	गोविंदराम सेकसरिया अर्थ–वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर	3,77,135	–	–	शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर 1803802002	3,77,135
					योग	**3,77,135**
8	सेवासदन महाविद्यालय बुरहानपुर	–	–	4,56,264	शासकीय महाविद्यालय नेपानगर 4803802001	4,56,264
9	सेवासदन महाविद्यालय बुरहानपुर	44,023				44,023
					योग	**5,00,287**
				सकल योग		**69,58,798**

(उनहत्तर लाख अठावन हजार सात सौ अट्ठानवे मात्र)

1. शैक्षणिक अधिकारियों को शत–प्रतिशत अनुदान भुगतान एंव महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा–पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म. प्र. द्वारा अनुमोदित हो।

2. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।

3. आवंटित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।

Scanned with CamScanner

4. उक्त आवंटित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगे।

5. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी वित्त संहिता के नियम 175–176 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये राशि का आहरण एवं भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

6. उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एंव शिक्षा अधिकारी की होगी।

7. आवंटित राशि का व्यय, **बजट शीर्ष** 044–2202–03–104–3444–0103–42–002 वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय आपको **आवंटित राशि 05 कार्यदिवस में** आहरित/भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

9. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को एरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 260/47/आउशि/अनु.ब./21 भोपाल, दिनांक 17/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. प्रभारी अधिकारी,आई.टी.कक्ष,उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner